खुद का आवास पाने के लिए पात्र हितग्राहियों को जमा करना होगा अंशदान का राशि तभी लॉटरी में किया जाएगा शामिल, 24 मई को होगा लॉटरी का आयोजन, किराएदारी में निवासरत तथा व्यवस्थापन वाले हितग्राहियों को आवास प्रदान करने के लिए निकाली जाएगी लॉटरी

भिलाई नगर/ नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी मोर मकान, मोर चिन्हारी घटक अंतर्गत केनाल रोड एवं अन्य विकास कार्यों से प्रभावित हितग्राही जिन्हें बेदखली व्यवस्थापन हेतु सूचना पत्र जारी किया गया है। आवास आबंटन के लिए अंशदान की संपूर्ण राशि 75000 रुपए एकमुश्त दिनांक 22 मई 2023 तक जमा कर दें। ताकि दिनांक 24 मई 2023 को प्रातः 11:00 बजे होने वाली लॉटरी में आवास आबंटन हेतु शामिल किया जा सके। इसी प्रकार मोर मकान मोर आस घटक के अंतर्गत शासन से स्वीकृत परियोजना में आवास आबंटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किए गए पात्र हितग्राही जो आवास आबंटन के राशि की 10% अंशदान की राशि जमा नहीं किए हैं उन्हें सूचित किया जाता है कि दिनांक 22 मई 2023 तक मुख्य कार्यालय सुपेला के आवास योजना शाखा कक्ष क्रमांक 16 में राशि जमा कर दें। ताकि दिनांक 24 मई 2023 को प्रातः 11:00 बजे से होने वाले लॉटरी में आवास आबंटन हेतु शामिल किया जा सके। आवास प्रभारी विद्याधर ने बताया लॉटरी का स्थल नगर पालिक निगम भिलाई मुख्य कार्यालय सुपेला में रहेगा। लॉटरी दिवस को यह दस्तावेज लाने होंगे जरूरी लॉटरी में शामिल होने के लिए हितग्राही अपना अंशदान जमा राशि रसीद की मूल प्रति, मूल आधार कार्ड, आवेदन पत्र की पावती तथा लॉटरी में शामिल होने हेतु जारी सूचना पत्र के साथ निर्धारित स्थल एवं समय में स्वयं उपस्थित रहेंगे। परिवार में यदि दिव्यांगजन एवं वरिष्ठ नागरिक हो तो प्रमाण पत्र की मूल प्रति आवास शाखा कक्ष क्रमांक 16 में पुष्टि हेतु दिनांक 22 मई 2023 तक प्रस्तुत करेंगे। ताकि भूतल पर लॉटरी द्वारा आवास आबंटन की कार्यवाही की जा सके।